2018 का विधेयक संख्यांक 125

[दि आंगनवाड़ी वर्कर्स(एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर) बिल, 2018 का हिन्दी रूपान्तर]

श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य

का

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (सशक्तीकरण और कल्याण) विधेयक, 2018

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को निष्पादन आधार पर भुगतान करने, उनके नियोजन को विनियमित करने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किये गये गैर-वेतन प्राप्त कार्य को मान्यता प्रदान करने तथा वित्तीय हकदारी के उनके अधिकार का संरक्षण करने, उनकी मजदूरी बढ़ाने और उसे मुद्रास्फीति से तालिकाबद्ध करने, उनकी मासिक मजदूरी के भुगतान में विलंब की स्थिति में शास्ति का उपबंध करके उसे कार्यकर्ताओं को दिए जाने, उनकी कार्य भूमिका को पुनर्परिभाषित करने तथा उनके उत्तरदायित्वों में वृद्धि करने, स्वास्थ्य बीमा योजना तथा स्वास्थ्य देखभाल कूपनों द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और उनके परिवारों की वहनीय स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संदत्त प्रसूती अवकाश, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन परिलाभ का उपबंध करने, छात्रवृत्तियों और आरक्षण के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बालकों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बालकों के लिए सभी सरकारी नौकरियों में कोटा का उपबंध प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कल्याण प्राधिकरण का गठन करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक सभी विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

यत: 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन ने कामगारों (एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित) को न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा प्रसुविधाओं के साथ नियमित कामगारों के रूप में मान्यता देने की योजना की सिफारिश की है;

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (सशक्तीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2018 है।

(*2*) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(*3*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''आगनवाड़ी कार्यकर्ता'' से एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना (आईसीडीएस) के अंतर्गत बालकों और गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त और अनुपूरक स्वास्थ्य देखभाल और पोषणात्मक सेवायें प्रदान करने के लिए नियोजित महिला अभिप्रेत है;

(ख) ''समुचित सरकार'' से राज्य या विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र के मामले में, यथास्थिति संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार, और अन्य सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ग) ''प्राधिकरण'' से धारा 3 के अंतर्गत गठित आगनवाड़ी कार्यकर्ता सशक्तीकरण और कल्याण प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) ''नियोजन अभिकरण'' से आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बालकों का संभावित निजी रोजगार प्रदाताओं के साथ नियोजन करने में संलग्न कोई अभिकरण या ठेकेदार, चाहे पंजीकृत या अन्यथा, अभिप्रेत है; और

(ङ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सशक्तीकरण और कल्याण प्राधिकरण का गठन।

3. (*1*) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सशक्तीकरण और कल्याण प्राधिकरण के रूप में जाने जाने वाले एक प्राधिकरण का, ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, गठन किया जाएगा।

(*2*) प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री—पदेन अध्यक्ष;

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री—पदेन उप-अध्यक्ष;

(ग) महानिदेशक स्वास्थ्य सेवायें, केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय—पदेन सदस्य;

(घ) केन्द्रीय महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयों के सचिव—पदेन सदस्य;

(ङ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग—पदेन सदस्य;

(च) निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान—पदेन सदस्य;

(*3*) केन्द्रीय सरकार उतनी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी, जो वह प्राधिकरण के प्रभावी कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे।

(*4*) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन तथा भत्तों और सेवा की निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जायें।

प्राधिकरणों की बैठकें।

4. (*1*) प्राधिकरण ऐसे समय और स्थानों पर मिलेगा और अपनी बैठकों के समय कार्य संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विहित किये जाएं।

(*2*) धारा 3 के उप-खण्ड (क) से (च) में संदर्भित सदस्यों द्वारा बैठकों में भाग लेने पर होने वाला व्यय उनके संबंधित नियंत्रणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा वहन किया जायेगा।

5. प्राधिकरण, समुचित सरकार के मार्गदर्शन के अन्तर्गत, निम्नलिखित कार्य करेगा,— प्राधिकरण के कृत्य।

(क) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए समग्र नीति का निर्माण;

(ख) राज्य सरकारों के विभागों को ऐसी सूचना, जो यह उचित समझे, का अग्रेषण;

(ग) अपनी स्थापना के एक वर्ष के भीतर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों, बालकों (छह वर्ष की आयु से कम) तथा गर्भवती महिलाओं के पोषणात्मक और स्वास्थ्य स्तर के बारे में समग्र आंकड़ा संकलन के लिए आधार-रेखा अध्ययन करना; और

(घ) अपनी स्थापना के एक वर्ष के भीतर, स्वास्थ्य जांच कार्यक्रमों, विशेषकर महिलाओं में कैंसर, में भागीदारी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, सड़क, सुरक्षा के सभी क्षेत्रों में जन-जागरूकता गतिविधियां तथा ऐसी कोई अन्य सेवा को सम्मिलित करते हुए, लेकिन इन तक ही सीमित नहीं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के उत्तरदायित्वों को पुनर्परिभाषित करने के लिए नीति का निर्माण; और

(ङ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाएं:

परन्तु यह कि खण्ड (ग) और (घ) में विहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व, उनके द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवायें योजना (आईसीडीएस योजना) के अन्तर्गत पहले से ही निभाये जा रहे कृत्यों के अतिरिक्त होंगे।

6. (*1*) प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की सेवा नियमित करने और ऐसे कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को स्थायी सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाना अनुशंसित करेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के नियोजन का नियमितिकरण।

(*2*) प्राधिकरण राज्य सरकारों से परामर्श करके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की मजदूरी के निर्धारण के लिए मापदण्ड और सूत्र का निर्णय लेगा:

परन्तु यह कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दिए जाने वाले बोनस सहित मजदूरी और प्रोत्साहन उनकी देखभाल के अन्तर्गत बालकों और गर्भवती महिलाओं के सुधरे हुए पोषणात्मक स्तर से प्रत्यक्षत: जोड़ा जाएगा:

परन्तु और यह कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मजदूरी, बाजार मुद्रास्फीति से तालिकाबद्ध की जाएगी।

7. (*1*) समुचित सरकार विलम्ब की स्थिति में ऐसी दर पर जो अवधारित की जाये, ब्याज का संदाय करेगी— समुचित सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों को देय मजदूरी और निधियों के हस्तांतरण में विलंब पर शस्ति का संदाय किया जाना।

(क) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को देय मजदूरी और निष्पादन संबंधी बोनस; और

(ख) बालकों, गर्भवती महिलाओं को पोषणात्मक प्रतिपूरक प्रदान करने और सामान्य कार्यकरण के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों को निधियों का हस्तांतरण:

परंतु यह कि यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की मजदूरी में केन्द्रीय सरकार के भाग या आंगनवाड़ी केन्द्रों में इसके योगदान में देरी के कारण है, तब केन्द्रीय सरकार संपूर्ण विलंब अवधि के लिए अपने मजदूरी भाग पर 20 प्रतिशत की दर से मासिक ब्याज का संदाय करेगी:

परंतु यह और कि यदि विलंब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की मजदूरी में राज्य सरकार के भाग या आंगनवाड़ी केन्द्रों में इसके योगदान में देरी के कारण है, तब संबंधित राज्य सरकार संपूर्ण विलंब अवधि के लिए अपने मजदूरी भाग पर 15 प्रतिशत की दर से मासिक ब्याज का संदाय करेगी:

परंतु यह और भी कि जहां केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के भाग में भुगतान में विलंब एक माह से अधिक है, तब ब्याज की गणना मासिक होगी।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में पदों की रिक्तियाँ और संयुक्त उत्तरदायित्व ।

8. (*1*) आंगनवाड़ी केन्द्रों में पर्यवेक्षकों, कार्यकर्ताओं या सहायिकाओं के पदों की रिक्ति होने के मामले में, और जहां विद्यमान कार्यकर्ता या सहायिका रिक्त पड़े पदों के अतिरिक्त उत्तरदायित्वों के निष्पादन का भार वहन कर रही हैं, ऐसी कार्यकर्ताओं या सहायिकाओं को ऐसे अतिरिक्त कार्य को निभाने के लिए अतिरिक्त वेतन देय होगा।

(*2*) उप-धारा (1) के अन्तर्गत अतिरिक्त वेतन के भुगतान में विलंब की स्थिति में, धारा 7 के अन्तर्गत उल्लिखित ब्याज के भुगतान के उपबंध लागू होंगे।

(*3*) समुचित सरकार, पद रिक्त होने की तारीख से दो माह के भीतर रिक्तियों को भरेगी।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं का प्रशिक्षण और स्वास्थ्य अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण।

9. (*1*) प्राधिकरण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करेगा और ऐसी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं के लिए क्षमता संवर्धन कार्यक्रम शुरू करेगा ताकि वे अपने उत्तरदायित्वों का सर्वश्रेष्ठ तरीके से निर्वहन कर सकें।

(*2*) उप-धारा (*1*) के अन्तर्गत प्रशिक्षण में निम्नलिखित शामिल होगा—

(क) बालकों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषणात्मक अभिलेखों का डिजिटल रूप में रख-रखाव में प्रशिक्षण; और

(ख) डिजिटल और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों में द्विमासिक प्रशिक्षण।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के परिवारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधायें और कूपन।

10. (*1*) समुचित सरकार—

(क) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और उनके जीवन-साथी, बालकों और माता-पिता सहित उनके परिवारों को गुणवत्तापरक और वहनीय स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगी।

(ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य देखभाल कूपन प्रदान करेगी, जिन्हें निजी चिकित्सालयों से नि:शुल्क स्वास्थ्य देखभाल के बदले प्रतिदान किया जा सकेगा।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मातृत्व।

11. (*1*) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकायें संदत्त प्रसूती अवकाश की हकदार होंगी।

(*2*) संदत्त प्रसूती अवकाश की लागत, भुगतान किए जाने वाली मासिक मजदूरी के लागत-साझाकरण अनुपात के आधार पर समुचित सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

आंगवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रसुविधाएं।

12. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकायें देय मजदूरी के लागत-साझाकरण अनुपात के आधार पर समुचित सरकार द्वारा देय पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रसुविधाओं की हकदार होंगी।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बालकों को विद्यालयों और महाविद्यालयों में आरक्षण और छात्रवृत्तियां।

13. (*1*) केन्द्रीय सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बालकों को उनकी विद्यालयी शिक्षा पूरी होने तक छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।

(*2*) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के बालकों के पक्ष में सभी सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में सीटों का पाँच प्रतिशत आरक्षित करेगी।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बालकों के सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण।

14. (*1*) केन्द्रीय सरकार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बालकों के पक्ष में सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों में तीन प्रतिशत सीट आरक्षित करेगी।

(*2*) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण के परामर्श से, राज्य के अंतर्गत नौकरी में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बालकों के पक्ष में आरक्षण प्रदान करने के लिए संगत सिद्धांत और मानदण्ड निर्धारित करेगी।

नियोजन अभिकरण का गठन।

15. प्राधिकरण समुचित सरकार के परामर्श से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बालकों को संभावित निजी नियोजकों के साथ नियोजित करने के लिए नियोजन अभिकरण का गठन करेगा।

बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों का मासिक पर्यवेक्षण और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना।

16. राज्य सरकार, पर्यवेक्षकों और बाल विकास परियोजना अधिकारियों को प्रत्येक माह आंगनवाड़ी केन्द्रों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों का दौरा करने और समुचित सरकार को इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नीतियां और कल्याण योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे परिलाभों के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की कार्य करने की स्थितियों और आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकरण की, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, जानकारी देने वाला प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश देगी।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विद्यमान प्रसुविधाओं से अधिक प्रसुविधाएं।

17. इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और ऐसे अन्य कल्याण उपाय, ऐसी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पहले से उपलब्ध प्रसुविधाओं के अतिरिक्त होंगे।

वार्षिक प्रतिवेदन और इसे संसद में समक्ष रखा जाना।

18. (*1*) प्राधिकरण वर्ष में एक बार, ऐसी रीति से जो विहित किया जाए, अपने वार्षिक लेखाओं का विवरण और समुचित सरकार को दी गई अनुशंसाओं, कार्यान्वित योजनाओं सहित अपनी गतिविधियों का सार देने वाला एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उसे केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(*2*) केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, ऐसे प्रतिवेदन के प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

केन्द्रीय सरकार निमित्त पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएगी।

19. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस निमित्त संसद द्वारा विधि के माध्यम से सम्यक् विनियोजन के पश्चात् पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएगी।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

20. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से, ऐसा आदेश या ऐसा निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन है प्रतीत हो:

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं दिया जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति।

21. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वियत करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(*2*) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रख जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उक्त सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसी परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान से पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि-मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

स्वास्थ्य देख-रेख कार्यकर्ता स्वास्थ्य देख-रेख प्रदाताओं और समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कारक है। आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकरण के बारे में करवाए गए अध्ययन ने यह सिद्ध किया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों द्वारा हस्तक्षेप से निवारणीय बाल्यावस्था नि:शक्तता जैसे कुपोषण की शीघ्र जांच और समुचित प्रबंधन में सहायता मिल सकती है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अनुसार बच्चों में कुपोषण (पांच वर्ष की आयु से कम) एनएफएचएस-3 में 42.5 प्रतिशत की तुलना में एनएफएचएस-4 में 35.7 प्रतिशत रह गया आंगनवाड़ी सेविकाओं जो सबसे निचले स्तर पर काम करती है; का कुपोषण के स्तर में इस कटौती में प्रमुख योगदान है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरकार की समेकित बाल विकास सेवा योजना के अधीन स्वास्थ्य देखरेख और शिक्षा सेवाएं वास्तव में प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। वर्ष 2013 में अधिसूचित केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई) नीति में ईसीसीई सेवा प्रदान करने के माध्यम के रूप में आंगनवाड़ी केन्द्रों को परिकल्पित किया गया। आंगनवाड़ी सेविकाएं बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करती हैं और बच्चों एवम् स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण का वास्तविक समय में मानीटरन करवाने के लिए उत्तरदायी हैं, सहायक नर्स दाई (एएनएम) के साथ टीकाकरण अभियान आयोजित करती हैं, बच्चों के पोषाहार की स्थिति का आकलन करने के लिए उनके विकास का मानीटरिंग चार्ट रखती हैं, अभिलेख (जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरणों सहित) रखती हैं, विद्यालय-पूर्व तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करती हैं, अनुपूरक पोषाहार वितरण करती हैं और स्वास्थ्य जांच और अन्य के बीच रेफरल सेवाएं प्रदान करती हैं।

आंगनवाड़ियों का महत्व आईसीडीएस योजना को आंगनवाड़ी सेवा योजना नाम देने में भी दर्शाया गया है। आंगनवाड़ी सेविकाओं को विगत वर्षों में और अधिक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। एक्सेस टू जस्टिस परियोजना के अधीन आंगनवाड़ी, हाशिए पर धकेले गए समुदायों को विधायी सेवाएं प्राप्त करने में भी सहायता करती हैं। सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीस रिपोर्ट के अनुसार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर गैर-आईसीडीएस कार्य का भार अधिक है जैसा कि अन्य गैर-आईसीडीएस कार्य के लिए जुटाए गए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के प्रतिशत में दर्शाया गया है। उदाहरणार्थ, वर्ष 2014 में 17 प्रतिशत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पंचायत संबंधी कार्य के लिए जुटाए गए, पल्स पोलियो के लिए 46 प्रतिशत, निर्वाचन कार्य के लिए 42 प्रतिशत और अन्य कार्य के लिए 22 प्रतिशत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जुटाए गए। इस प्रकार, वर्ष 2014 में गैर-आईसीडीएस कार्य के लिए औसत 63 प्रतिशत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जुटाए गए। विशेष रूप से, महिलाओं में कैंसर के लिए स्वास्थ्य जांच कार्यक्रमों , स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, सड़क सुरक्षा के सभी क्षेत्रों के लिए जन जागरूकता कार्यकलापों में भागीदारी से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका और जिम्मेदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। उनके द्वारा निष्पादित कार्यों और बढ़ती जिम्मेदारियों के महत्व के बावजूद, वे किसी भी मजदूरी के हकदार नहीं हैं परन्तु उन्हें लागत का भार वहन करने के अनुपात के अनुसार केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा मानदेय की अत्यल्प धनराशि का संदाय किया जाता है। जबकि मानदेय में किसी संबंधित राज्य का अंशदान भिन्न होता है, केन्द्रीय सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों को क्रमश: 3,000 रु॰ और 1,500 रु॰ की दर से मासिक मानदेय मे अपने अंश का संदाय करती हैं। महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए सापेक्ष असंदत्त देख-रेख कार्य को मान्यता देना और वित्तीय हकदारियों का अधिकार, नौकरी की सुरक्षा और अन्य रोजगार संबंधी लाभ की भी आवश्यकता है। 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन ने भी इस स्कीम के कार्यकर्ताओं (समेकित बाल विकास सेवा योजना के अधीन आंगनवाड़ी सहित) को लिए न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा लाभ निर्धारित करके नियमित कार्यकर्ताओं के रूप में मान्यता देने की भी सिफारिश की है।

उनके बदलते उत्तरदायित्व और भूमिका के संदर्भ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों को विनियमित करने और उन्हें स्थायी सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने की आवश्यकता है। वेतन संदाय और बोनस की धनराशि को स्थिर रखने की बजाय बच्चों की पोषाहार स्थिति पर निर्धारित करने की आवश्यकता है। बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किए गए अनुसंधान के अनुसार, स्वास्थ्य देख-रेख कार्यकर्ताओं की देखभाल में बच्चों की पोषाहारीय स्थिति पर उन्हें संदत्त कार्य-निष्पादन वेतन और बोनस, नियत बोनस की तुलना में बच्चों की पोषाहारीय स्थिति में सुधार करने में प्रभावकारी सिद्ध हुए। जबकि इस पहल से बच्चों में कम वजन होने के मामले पांच प्रतिशत प्वाइंट कम हुए हैं बच्चों की लम्बाई तीन माह के एक छोटे समय में एक सेंटीमीटर बढ़ी है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को संदत्त मजदूरी को मंहगाई से सूचकांक के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। सेन्टर फॉर इक्विटी स्टडीज़ द्वारा जारी प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन अंडर सिक्स रिपोर्ट, 2016 के अनुसार 35 प्रतिशत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समय पर मजदूरी का संदाय नहीं किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मजदूरी देने में विलंब होने और आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषाहारीय पूरक सामग्री की खरीद करने के लिए बजट की समस्या का समाधान करने के लिए, विलंब की समग्र अवधि के लिए विलंब धनराशि पर 20 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की दर से मासिक ब्याज का संदाय क्रमश: केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। विलम्ब की अवधि के एक महीने से अधिक होने की स्थिति में ब्याज की गणना की जाएगी।

आंगनवाडी केन्द्रों में पदों की रिक्ति और परिणामस्वरूप उत्पन्न कार्य अधिभार के मामले से निपटने के लिए दोनों स्थितियों के कार्य-निष्पादित कर रही आंगनवाड़ी को दोनों पदों के लिए मजदूरी भुगतान का प्रावधान करना होगा और भुगतान में देरी शास्ति शर्तों के अध्यधीन होगी।

स्वास्थ्य जांच कार्यक्रमों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भागीदारी भी आवश्यक है। भारत में चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कैंसर के खतरों और कैंसर के लिए विभिन्न जांचों के बारे में प्रशिक्षण देकर उन्हें सम्मिलित करते हुए स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम कराते हैं। जांच के लिए स्वास्थ्य देखभाल कैंपों में भाग लेने वाले तथा उसके पश्चात् निदान और उपचार के लिए आने वाले विशेषकर कैंसर की जांच के लिए आने वाली भारतीय महिलाओं की संख्या बढ़ने से सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। कार्यकर्ताओं को उभरती प्रौद्योगिकियों से उद्यतन रखने के लिए बारंबार पूर्व सेवा और सेवाकालीन तथा क्षमता संवर्धन कार्यक्रम आवश्यक हैं स्वास्थ्य अभिलेखों का अनिवार्य कम्प्यूटरीकरण और इसके लिए जरूरी प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी भी आवश्यक है।

स्वास्थ्य देखभाल कूपन जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और उनके जीवनसाथी, बालकों तथा माता-पिता नि:शुल्क स्वास्थ्य देखभाल के लिए निजी चिकित्सालयों में प्रतिपूरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं, के द्वारा आंगनवाड़ी सेविकाओं को गुणवत्तापरक तथा वहनीय स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना जरूरी है। आंगनवाड़ी सेविकाएं सवेतन मातृत्व अवकाश की भी हकदार होंगी, जिसकी लागत, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, दोनों द्वारा उसी लागत साझाकरण अनुपात में साझा की जाएगी, जिसमें मजदूरी साझा की जाती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की दयनीय स्थितियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को देय सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा परिलाभों का प्रावधान है। इसके अलावा, शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बालकों को उनकी विद्यालयी शिक्षा पूरी होने तक छात्रवृत्तियां प्रदान की जायेंगी। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बालकों के लिए सभी सरकारी विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में सीटों का कम से कम पांच प्रतिशत आरक्षण और सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों के तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करना है। आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं के बालकों को संभावित निजी नियोजकों के साथ नियोजित करने के लिए नियोजन अभिकरण गठित करने की जरूरत है। वर्तमान आईसीडीएस योजना में आवंटित सेवाओं के अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों को प्रदत्त अतिरिक्त लाभ मिल रहे हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों और आंगनवाड़ी घरों का मासिक अधीक्षण करना पर्यवेक्षण है।

अत: विधेयक, सरकार को मजदूरी और बोनस, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सेवाओं, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा लाभों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की उचित हकदारियों के आवंटन का अधिदेश देकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के अधिकारों और कल्याण की हिमायत करता है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
2 जुलाई, 2018

सुप्रिया सुले

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सशक्तिकरण और कल्याण प्राधिकरण के गठन का उपबंध करता है। यह इसके कार्यकरण के लिए ऐसी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का भी उपबंध करता है। खण्ड 4 कार्य संचालन के लिए प्रक्रिया नियमों का पालन करने के लिए प्राधिकार की बैठकों का उपबंध करता है। खण्ड 8 अतिरिक्त उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त वेतन का उपबंध करता है। खण्ड 9 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के प्रशिक्षण का उपबंध है। खण्ड 10 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए वहनीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और कूपन का उपबंध करता है। खण्ड 11 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए सवेतन प्रसूती अवकाश का उपबंध है। खण्ड 12 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा परिलाभों का उपबंध करता है। खण्ड 13 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बालकों के पक्ष में सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और छात्रवृत्तियों का उपबंध करता है। खण्ड 15 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के बालकों को संभावित निजी नियोजकों के साथ नियोजित करने के लिए एक नियोजन अभिकरण के गठन का उपबंध करता है। खण्ड 19 इस विधेयक के उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक निधियां प्रदान किए जाने के दायित्व का उपबंध करता है। अतः, विधेयक के अधिनियमित होने पर भारत की संचित निधि में से व्यय होगा। इस पर पांच हजार करोड़ रुपये का वार्षिक आवर्ती व्यय होने का अनुमान है।

इस पर दो सौ करोड़ रुपये का अनावर्ती व्यय होने की भी संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 21 केन्द्र सरकार को विधेयक के उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। चूंकि, नियम केवल ब्यौरे के मामलों से संबंधित होंगे, अत: विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को निष्पादन आधार पर भुगतान करने, उनके नियोजन को विनियमित करने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किये गये गैर-वेतन प्राप्त कार्य को मान्यता प्रदान करने तथा वित्तीय हकदारी के उनके अधिकार का संरक्षण करने, उनकी मजदूरी बढ़ाने और उसे मुद्रास्फीति से तालिकाबद्ध करने, उनकी मासिक मजदूरी के भुगतान में विलंब की स्थिति में शास्ति का उपबंध करके उसे कार्यकर्ताओं को दिए जाने, उनकी कार्य भूमिका को पुनर्परिभाषित करने तथा उनके उत्तरदायित्वों में वृद्धि करने, स्वास्थ्य बीमा योजना तथा स्वास्थ्य देखभाल कूपनों द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और उनके परिवारों की वहनीय स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संदत्त प्रसूती अवकाश, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन परिलाभ का उपबंध करने, छात्रवृत्तियों और आरक्षण के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बालकों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बालकों के लिए सभी सरकारी नौकरियों में कोटा का उपबंध प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कल्याण प्राधिकरण का गठन करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक सभी विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

(श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य)

MGIPMRND—1023LS(S2)—27.07.2018 .